२४/०४/२२

पत्रावली आज पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। विपक्षी सं. 8 का जवाब अज्ञात। जवाब का अवसर बन्द किया जाता है। विपक्षी सं. 1 ता 7 अनुपस्थित। विपक्षीगण सं. 1 ता 7 को कोई मामले में तीन बार तीन तीन आवाजें दिलाई जाती हैं। बावजूद आवाजें दिलाने के अनुपस्थित है कि विपक्षीगण सं. 1 ता 7 के खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही की जाती है। वकील वादी की बहस सुनी। आदेश अलग से लिखाया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया। पत्रावली नियम अनुसार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(signature)

उपखण्ड अधिकारी, [illegible]

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2022.09.19 16:02:51 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गुड़ामालानी

पीठासीन अधिकारी :– श्री प्रमोद कुमार, आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी गुड़ामालानी

मु.न. 04 / 2022

प्रार्थी

1. पुखराज पुत्र जेठाराम
   जाति जाट निवासी तेजियावास गुड़ामालानी जिला बाड़मेर

बनाम

विप्रार्थीगण

1. भेराराम पुत्र फूसाराम
2. रामाराम पुत्र फूसाराम जाति भांभी निवासी तेजियावास
3. कमला पत्नी पदमाराम जाति मेगवाल निवासी मानसिंह की बेरी खारी तहसील धोरीमना
4. चूनीदेवी पत्नी किसनाराम
5. रमेश कुमार पुत्र किसनाराम
6. वरींगाराम पुत्र किसनाराम जाति मेगवाल निवासी तेजियावास
7. भैरसिंह पुत्र भूरसिंह जाति पुरोहित निवासी तेजियावास तहसील गुड़ामालानी
8. शाखा प्रबन्धक एस.बी.आई. शाखा राणा प्रताप बाजार गुड़ामालानी
9. तहसीलदार गुड़ामालानी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 क राजस्थान काश्तकारी (संशोधन) अधिनियम 2010

–: निर्णय :–

दिनांक :– 22/04/2022

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251A रा.का.अ. का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी की खातेदारी कृषि भूमि राजस्व ग्राम तेजियावास पटवार क्षेत्र बेरीगांव तहसील गुड़ामालानी में खेत खसरा नम्बर 25 क्षेत्रफल 5.5199 हैक्टेयर की आई हुई है इसमें आने जाने हेतु कोई राजकीय कटान मार्ग नहीं है, हमारे पाडौसी विप्रार्थीगण के खेत खसरा नम्बर 17/1, 17, 160/18 ग्राम तेजियावास में से ही आ जा सकते हैं। इसी रास्ते का उपयोग पीडियों से करते आ रहे हैं। हरबार वारिस में काश्त करने से रास्ता अवरूद्ध हो जाता है तथा विप्रार्थीगण आने जाने में झगड़ा करते हैं। अतः हमारी खातेदारी खेत खसरा नम्बर 25 से कटान मार्ग तक आवागमन हेतु विप्रार्थीगण के खेत खसरा नम्बर 17/1, 17, 160/18 ग्राम तेजियावास में से संलग्न ''परिशिष्ठ–अ'' अनुसार राजस्व रेकर्ड में कटान मार्ग अपलिखित करावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2022.09.19 16:02:51 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र रजिस्टर कर विप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। विप्रार्थी संख्या 8 शाखा प्रबन्धक एस.बी.आई. राणाप्रताप बाजार गुड़ामालानी की ओर से अधिवक्ता श्री गंगाराम चौधरी द्वारा बकालातनामा पेश पेश किया परन्तु प्रार्थी के प्रार्थना पत्र का किसी प्रकार से कोई उजर एतराज पेश नहीं किया गया। बावजूद नोटिस तामील अनुपस्थित रहने से विप्रार्थीगण संख्या 1 ता 7 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। विप्रार्थी संख्या 9 तहसीलदार गुड़ामालानी ने अपनी रिर्पोट क्रमांक 616 दिनांक 13.04.2022 पेश कर निवेदन किया कि

प्रार्थी की खातेदारी भूमि खेत खसरा नम्बर 25 से कटान मार्ग तक पहुंचने के लिये विप्रार्थीगण के खेत खसरा नम्बर 160/18, 17 व 17/1 में से होकर आने जाने का सबसे निकटतम स्रोत है, प्रस्तावित रास्ते की भूमि खसरा नम्बर 160/18 में 3X30 गट्ठा, खसरा नम्बर 17 में 3X65 गट्ठा एवं खसरा नम्बर 17/1 में 3X65 गटठा अर्थात कुल लम्बाई 160 गटठा एवं चौडाई 3 गटठा है जिसका रकबा क्रमशः 0.0364, 0.0789, 0.0789 हैक्टेयर है, जिसे बरंग हरा नजरी नक्शा में प्रस्तावित कर रास्ता राजस्व रेकर्ड रेकर्ड में अपलिखित किये जाने की अनुशंषा की है।

प्रार्थी के आवेदन पर गंभीरता व गहनता से मनन करते हुए तथा प्रार्थी की अत्याधिक आवश्यकता को देखते हुए तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा अपनी रिर्पोट क्रमांक 616 दिनांक 13.04.2022 के संलग्न परिशिष्ट 'अ' में दर्शाए ''हरा रंग मार्क'' अनुसार कटान मार्ग से प्रार्थी की आराज़ी खेत खसरा संख्या 25 ग्राम तेजियावास में आने–जाने हेतु विप्राथीगण की आराजी ग्राम तेजियावास के खेत खसरा नम्बर 160/18 में 3X30 गट्ठा रकबा 0.0364 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 17 में 3X65 गट्ठा रकबा 0.0789 हैक्टेयर एवं खसरा नम्बर 17/1 में 3X65 गटठा रकबा 0.0789 हैक्टेयर भूमि रास्ते हेतु बरंग ''हरा'' संलग्न नक्शा अनुसार 'रास्ता' घोषित किए जाने के आदेश दिया जाते है। तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा प्रस्तुत किया गया परिशिष्ट 'अ' मौका रिपोर्ट मय नक्शा ट्रेस को निर्णय का आवश्यक अंग मानते हुए प्रार्थीगण को उपरोक्तानुसार प्रस्तावित 'रास्ता' निम्नलिखित शर्तो के अनुरूप होगा।

प्रार्थी द्वारा रास्ता प्राप्त करने के एवज में कितनी राशि का भुगतान विप्रार्थीगण को किया जाएगा, इस हेतु राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) (संशोधन) नियम 2012 द्वारा अन्तः स्थापित अध्याय 12 के नियम 70(1) (11)(अ) में स्पष्ट है कि अगर समझौते में क्षतिपूर्ति राशि का समाधान नहीं है तो जिला स्तरीय कमेटी (DLC) द्वारा निर्धारित दरो की दो गुना राशि की दर से प्रभावित पक्षकार को क्षतिपूर्ति के रूप में राशि दी जाकर प्रार्थी को रास्ता दिया जा सकता है। और अगर कोई अन्य पेड, फसल या संरचना प्रस्तावित रास्ते में हो तो अध्याय 70(2) के अन्तर्गत उनकी क्षति की पूर्ति हेतु वास्तविक नुकसान के आधार पर राशि देय होगी।

निर्णयानुसार प्रस्तावित 'रास्ते' मे समाविष्ट होने वाली कुल भूमि के रकबे की गणना कर निर्णय दिनांक को प्रचालित DLC द्वारा निर्धारित दरों की दो गुणा राशि की गणना कर तहसीलदार द्वारा प्रार्थीगण को अवगत कराई जाएगी। तहसीलदार द्वारा बताई गई राशि का भुगतान प्रार्थीगण द्वारा विप्रार्थीगण को 'रास्ते' के रूप में दर्ज होने वाली उनकी भूमि के रकबे की क्षतिपूर्ति राशि के रूप में देय होगी जो DLC द्वारा निर्धारित निर्णय दिनांक को प्रचलित दर की दो गुणा के बराबर होगी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2022.09.19 16:02:51 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थी द्वारा नए प्रस्तावित रास्ते में समाविष्ट होने वाली भूमि के कुल रकबे हेतु निर्धारित राशि विप्रार्थीगण को प्रदान करने के उपरांत ही

उपखण्ड अधिकारी गुड़ामालानी

तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा भौतिक रूप से नए रास्ते का सीमांकन तथा राजस्व रेकार्ड में अमलदरामद किया जाएगा। अगर प्रभावित पक्षकार उपस्थित होकर राशि लेने से इन्कार करते हो तो प्रार्थीगण द्वारा यह राशि तहसीलदार को प्रस्तुत की जाएगी। जिसे तहसीलदार द्वारा विप्रार्थीगण को वितरित करने की कार्यवाही की जाएगी।

नए रास्ते में समाविष्ट होने वाली भूमि के सम्बन्ध में अभिधृति निर्वापित की हुई समझी जाएगी और वह भूमि राजस्व अभिलेख में 'रास्ते' के रूप में दर्ज होगी। प्रार्थीगण को इस प्रकार दर्ज भूमि को 'रास्ते' के रूप में उपयोग के अधिकार के अतिरिक्त कोई भी अन्य अधिकार अर्जित नही होंगे। रास्ते के रूप में समाविष्ट भूमि का रकबा संबंधित खसरे में से कम करते हुए राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जाएगा।

उक्त शर्तो के अधीन ही प्रार्थी को नया रास्ता दिए जाने के आदेश दिए जाते है। तहसीलदार गुडामालानी बाद पालना, पालना प्रतिवेदन प्रेषित करे। पालना प्रतिवेदन प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली किया जावे। पत्रावली फैसलसुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 22/4/22 को खुले न्यायालय मजमेआम में सुनाया गया।

(प्रमोद कुमार)
उपखण्ड अधिकारी गुडामालानी

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2022.09.19 16:02:51 IST
Reason: SelfAttested